जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./10/डी–01 दिनांकः–4-1-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 72वीं बैठक दिनांकः 24.12.10 को अपरान्ह 12:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		72:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 71वीं बैठक दिनांक 25.11.10 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 71वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 71वीं बैठक दिनांक 25.11.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 71वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणो में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे। 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10 के प्रस्ताव सं. 68:8(4) में लिये गये निर्णय की पालना हेतु उपायुक्त जोन 5 को लिखा जावे कि वे आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रकरण रखना सुनिश्चित करे। भविष्य में जविप्रा की एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड विनिमय के प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जावें एवं पूर्व में इस प्रकार जो विनिमय किये गये है, उनकी समीक्षा हेतु संबंधित जोन आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करे। केवल उपायुक्त जोन 5 द्वारा शुन्य सूचना प्रस्तुत की है। शेष उपायुक्त आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
2.	13	72:2	सनराईज हैल्थ एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी को ग्रामीण मनोरंजन एवं ट्यूरिज्म केन्द्र हेतु ग्राम बीलोचीं के खसरा नं. 970 व 976 में से 0.41 है0 भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावित भूमि मुख्य सडक पर स्थित है। वांछित भूमि का वर्णित प्रयोजन वाणिज्यिक प्रतीत होता है। वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आवंटन नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त भूमि संस्था को आवंटित न की जाकर नीलाम करने का निर्णय लिया गया।
3.	9	72:3	राजपूत सभा भवन को छात्रावास हेतु आवंटित भूमि की स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित न होने के कारण संस्था को लीजडीड जारी करने बाबत।	प्रस्तावानुसार संस्था को कब्जा पत्र/लीज डीड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	14	72:3(1)	रोहिणी नगर–द्वितीय आवासीय योजना के आवंटित भूखण्डों पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	परिशिष्ट 'ग' में वर्णित 25 भूखण्डधारियों जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, उन्हे विनिमय करने का निर्णय लिया गया। शेष भूखण्डधारियों की जैसे–जैसे सहमति प्राप्त होती जावे, उपायुक्त जोन, जयपुर विकास प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के परिपेक्ष्य में विनिमय करे।
2.	13	72:3(2)	यूनिवर्सिटी ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट कोलकत्ता को आवंटित भूमि निरस्त करने बाबत।	संस्था के लिये वांछित भूमि का चयन किया गया किन्तु संस्था ने उक्त भूमि लेने से मना करते हुए आवंटन हेतु अनिच्छा प्रकट की। फलस्वरूप आवंटन–आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	9	72:3(3)	रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या सी–75 के विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटन कराने बाबत।	प्रस्तावानुसार नवसृजित भूखण्डों में से जरिये लॉटरी एक भूखण्ड समान माप का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
4.	9	72:3(4)	रामनगरिया विस्तार आवासीय योजना में सृजित भूखण्ड सं. ए–62 से ए–75 में बढा हुआ क्षेत्रफल लगभग 120 वर्गमीटर (प्रत्येक में) का पट्टा जारी करने की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड सं. ए–65 जिसका पट्टा जारी कर दिया गया है, को अनुमोदन का निर्णय लिया गया। साथ ही ए–62 से ए–75 तक के भूखण्डों में गहराई में 10 मीटर माप में बढ जाने के कारण बढे हुए क्षेत्रफल का स्वतन्त्र उपयोग न होने के कारण बढे हुए क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दूगनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। चूकि प्रत्येक भूखण्ड में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ गया है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
5.	11	72:3(5)	जविप्रा की आवासीय योजना अनुपम विहार में आवंटित भूखण्ड सं. सी–544 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	आवंटित भूखण्ड सं. सी–544 की आकृति सही न होने के कारण भूखण्ड सं. सी–566 व सी–571 जो कि समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित है, में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
6.	3	72:3(6)	अरूणा गौड के कब्जे की 400 वर्गगज भूमि का नियमन करने के लिये प्रकरण एलपीसी की बैठक में रखने बाबत।	प्रकरण आगामी बैठक में पूर्ण विवरण/तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जावे।
7.	8	72:3(7)	सांगानेर कपडा रंगाई छपाई एसोसियेशन के लिये भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन 8 विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
8.	2	72:3(8)	राजस्थान पुलिस अकादमी को ग्राम किशनबाग में निःशुल्क भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन 2 विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

(एल.पी.सी.)
...आयुक्त ... प्राधिकरण, जयपुर

9.	10	72:3(9)	सिस्टम बाईलोजी इण्डिया प्रा0 लि0 को ग्राम बगराना में मल्टीडिसीप्लेनरी, वोकेशनल कैम्पस स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण पर समिति में विचार--विमर्श किया गया। वस्तुस्थिति का विस्तृत विवरण अंकित करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिद, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
13. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
15. रक्षित पत्रावली

14.01.11

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 72वीं बैठक दिनांक 24.12.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
4.	श्री वी.एस. सून्डा निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन– 8	विशेष आमंत्रित
9.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
11.	श्री संजय जैन– उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
12.	सुश्री नर्बदा, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित